



मुज़फ़्फ़रनगर बुलेटिन

सम्पर्क सूत्र : 9368549219, 8077929606

संस्थापक : स्व. उत्तम चन्द्र शर्मा

रोजाना आपकी सुबह की चाय पर



सूर्योदय - 5:45, सूर्यास्त - 7:02

वर्ष : 54/ अंक : 223 | बृहस्पतिवार, 13 अगस्त 2026 | श्रावण, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा | सम्वत् 2083 | मूल्य : 3 रुपये

कुल पृष्ठ : 4

और जवाब माधन के बिना दिया
नहीं जा सकता.....

TEHRVI

IN LOVING MEMORY OF

Shri Suresh Chand Bindal Ji

(Chairman, Bindal Group of Industries)

Our beloved Shri Suresh Chand Bindal Ji
left for his heavenly abode on 01st August 2026.

It was the will of the Almighty.

TEHRVI

13th August 2026 (Thursday)

BRAHM BHOJ

12:00 PM (Noon)

RASAM PAGDI

3:00 PM

VENUE

Hotel Palasa

3 km Mile Stone, Bhopa Road, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh

SHOKAKUL PARIVAAR

Mayank Bindal - Rashmi Bindal
(Son & Daughter-in-law)
Satvik, Savya
(Grandson & Granddaughter)
Ashok Kumar Bindal- Saraswati Bindal
Rakesh Bindal-Shashi Bindal
Anil Bindal- Surbhi Bindal
(Brothers & Brothers' Wives)

Amit Bindal- Seema Bindal
Vikas Bindal- Shilpi Bindal
Sachin Bindal- Shweta Bindal
Ankur Bindal - Sanya Bindal
Ayush Bindal- Disha Bindal
(Nephews & Nephews' Wives)
Sanskar (Grandson) - Shreity (Grandson's Wife)
Shivik, Shivansh, Shubh, Saurish, Akaay
(Grandsons)
Sannvi, Kritvi, Aahana
(Granddaughters)

BUSINESS COMPANIES & TRUST

- Bindals Papers Mills Ltd
- Bindals Sugar Mills & Distillery
- Aggarwal Duplex Boards Mills Ltd
- Tehri Pulp and Papers Ltd

- Shakumbhari Pulp Paper Mills Ltd
- Bindals Fly High Academy (NGO)
- M/S Roshan Lal Ashok Kumar
- Bindals Duplex Ltd

RSVP

Samast Bindal Parivar

Mobile: 9837027415, 9837027405

भावपूर्ण श्रद्धांजलि

श्री राकेश बिन्दल जी एवं समस्त बिन्दल परिवार,

आपके बड़े भाई श्री सुरेश बिन्दल जी ने अपना पूर्ण जीवन परिवार और समाज को समर्पित किया, जिस कारण परिवार ने एक इकाई के रूप में अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

स्व. सुरेश बिन्दल जी

श्री गंगा सेवा समिति (पंजीकृत)

शुक्रताल (शुक्रतीर्थ), मुजफ्फरनगर- 251316 (30प्र0)

भीम सैन कंसल
(मुख्य संरक्षक सलाहकार)

सतीश चन्द गोयल
(अध्यक्ष)

अरुण कुमार गर्ग
अजय अग्रवाल
(वरिष्ठ उपाध्यक्ष)

डॉ० महकार सिंह
(महामंत्री)

मयंकार सिंह
(कोषाध्यक्ष)

विष्णु स्वामी
(सदस्य)

अम्बेश्वर मन्दिर

गली नम्बर 5, अम्बा विहार, मुजफ्फरनगर

सतीश चन्द गोयल

विकास शर्मा
सचिन तायल

रामकुमार शर्मा
हरिओम शर्मा

मुजफ्फरनगर दंगा : डॉ.संजीव बालियान व हरेंद्र मलिक समेत पच्चीस आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस

► 2013 दंगा मामले में शासन के आदेश पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुकदमे वापसी पर लगाई मुहर ► सचिन-गौरव हत्याकांड के बाद नगला मंदौड़ पंचायत को लेकर दर्ज की गई थी इन नेताओं पर रिपोर्ट

मुजफ्फरनगर, 12 अगस्त (बु.)। 13 साल पहले कवाल में सचिन और गौरव की हत्या के बाद 31 अगस्त 2013 को नगला मंदौड़ में हुई शोक सभा के बाद पुलिस द्वारा दर्ज मामलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ संजीव बालियान, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व सांसद भारतेंद सिंह, कपिलदेव अग्रवाल पूर्व विधायक उमेश मलिक, स्वामी यति नरसिंहानंद, शिवरंज वीरन्द्र सिंह सहित 25 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने के प्रार्थनापत्र को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। शासन के आदेश को लेकर डीएम की ओर से अभियोजन अधिकारी द्वारा दिए गए मुकदमा वापसी के प्रार्थना पत्र को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट एसिजेएम फस्ट देवेन्द्र सिंह फौजदार ने स्वीकार कर लिया है। इस मामले में बनाए गए थे।

कवाल में हुए सचिन गौरव हत्याकांड को लेकर 31 जुलाई 2013 को हुई नगला मंदौड़ की महापंचायत के मामले तत्कालीन एसओ सिखड़ा चरण सिंह यादव ने सरकारी कार्य

में बाधा डालने, रास्ता रोकने और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, पूर्व सांसद भारतेंद सिंह, पूर्व विधायक उमेश मलिक, मोचपुर निवासी कल्लू, योगेश, नंगला कबीर निवासी सचिन, अंतवाड़ा निवासी रविंद्र, तेजपुरा निवासी मिर्द के खिलाफ आरोपधर दाखिल किया गया था। इसी मामले में दूसरा आरोपधर श्यामपाल चचेरनैन, साव्नी प्राची और बिट्टू सिखड़ा के खिलाफ दाखिल हुआ। जीवना के शिव कुमार की पत्रावली अलग कर दी गई थी। मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र कुतुबपुर की मौत हो चुकी है। इसके अलावा निषेधाज्ञा उल्लंघन में तत्कालीन एडीएम प्रशासन की ओर से वर्तमान सभा सांसद हरेंद्र मलिक, कपिल देव अग्रवाल, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह, पूर्व विधायक अशोक कंसल, पूर्व विधायक उमेश मलिक, एमएलसी अशोक कटारिया, नृसिंहानंद उर्फ दीपक त्यागी समेत 21 आरोपियों के खिलाफ परिवारवाद



कराया गया था, जिनमें से 16 के खिलाफ आरोपधर दाखिल किया गया था। शासन के आदेश पर अभियोजन की ओर से कोर्ट में अभियोग वापस लेने का प्रार्थना पत्र दिया था, जो काफी समय से लंबित चल रहा था। इस मामले में मुकदमा वापसी के प्रार्थना पत्र को स्पेशल एमपीएमएल ने कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट एसिजेएम प्रथम देवेन्द्र सिंह फौजदार ने स्वीकार कर लिया है। निजी परिवार में सांसद हरेंद्र मलिक, तत्कालीन भाजपा नेता और वर्तमान में राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिलदेव अग्रवाल, पूर्व सांसद सोहनवीर समेत 22 को आरोप बनाया गया था। इस परिवार को भी वापस लेने की शासन की अनुमति के बाद अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में दिया गया था। एसिजेएम प्रथम एवं स्पेशल एमपीएमएल ने कोर्ट के मजिस्ट्रेट देवेन्द्र सिंह फौजदार ने इस मामले को भी वापस लेने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही मामले में नामजद आरोपियों ने राहत की सांस ली है।

शाहपुर के चर्चित तेजवीर सैनी हत्याकांड में आरोपी सगा भाई दोषी करार

मुजफ्फरनगर, 12 अगस्त (बु.)। अगर जिला सत्र एवं न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 3 के न्यायाधीश रवि दिवाकर ने शाहपुर के चर्चित तेजवीर सैनी हत्याकांड में आरोपी सगे भाई को दोषी करार दिया है। अदालत इस मामले में 18 अगस्त को सजा को लेकर अपना निर्णय सुनाएगी। मामले में वादी सौनु सैनी ने 22 अप्रैल 2013 को शाहपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि आरोपी सुखपाल गन्ने के खेत से जबर्न ट्रैक्टर टूटली निकाल रहा था, जिसका तेजवीर ने विरोध किया। विरोध करने पर आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर तेजवीर के साथ माफीपट करते हुए उस पर ट्रैक्टर टूटली चढ़ा दी। गंभीर रूप से घायल तेजवीर की उपचार के दौरान मौत हो गयी थी। एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि आरोपी सुखपाल तेजवीर सैनी का सगा भाई है। पुलिस ने विवेचना करते हुए उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दी थी। कोर्ट ने बृधवार को सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। सजा को लेकर कोर्ट 18 अगस्त को निर्णय सुनाएगी।

फिरौती के लिए अपहरण व हत्या के दोषी को सजाए मौत

► कोर्ट ने लगाया एक लाख दस हजार रुपए जुर्माना ► छपार क्षेत्र में लकड़ी ठेकेदार का हुआ था अपहरण ► दो आरोपी शौकीन व अहसान मुठमेड़ में मारे गए थे

मुजफ्फरनगर, 12 अगस्त (बु.)। हत्या जैसे जघन्य अपराध पर कोर्ट की नजर टूटी है। लकड़ी ठेकेदार का फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या में आरोपी को दोषी पाते हुए कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में 26 साल की लंबी सुनवाई के बाद आज फैसला आया। सजा पाने वाला दोषी वर्ष 2009 से जेल में बंद है। उसे पहले भी दो मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। हत्याकांड में नामजद दो बदमाश शौकीन व अहसान को पुलिस मुठमेड़ में वर्ष 2004 में 'डेर कर चुकी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार छपार के तेजलहेड़ा निवासी मोहम्मद आबाद ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 9 दिसंबर 1999 को वह और उसका चचेरा भाई हारन व मुकम्मल ट्रैक्टर-ट्राली में पापुलार लाइकर हरियाणा के यमुनागढ़ बेचने जा रहे थे। रात्रि में गांव के पास रजवाहे पर तीन बदमाशों ने ट्रैक्टर-ट्राली रुकवाकर हारन व मुकम्मल का समूचा कौल पर अपहरण कर लिया। आबाद ने गांव में अपहरण की सूचना दी थी। मुकम्मल को तो छोड़ दिया गया और वह दो दिन बाद वापस आ गया था। हारन 45 दिन तक बदमाशों के कब्जे में रहा था। बदमाशों ने हारन के पिता साहित्य को चिट्ठी भेजकर पचास लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। 19 जनवरी 2000 को हाथ के पिता साहित्य, इलास व मुस्ताफ ट्रैक्टर लेकर लाट के जंगल में गए थे। वहां बदमाशों ने हारन को रुपये का इंजायम करने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उसके पिता साहित्य और इलास को बंधक बना लिया था। 25 जनवरी 2000 को हरिद्वार के लखर में साहित्य की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया था, जबकि इलास को 21 दिन बाद 50 हजार रुपये की फिरौती लेने के बाद छोड़ा गया था। हत्या में कुख्यात शौकीन व उसका भाई शाहनवाज निवासीगण गांव

निर्धना बरला थाना छपार व एहसान निवासी गांव भोकरहेड़ी थाना भोपा के नाम प्रकाश में आए थे। मामले के दो आरोपी कुख्यात शौकीन व अहसान को वर्ष 2004 में पुलिस ने मुठमेड़ में डेर कर दिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी शाहनवाज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि अगर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट नम्बर 3 रवि कुमार दिवाकर ने दोषी शाहनवाज को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। उस पर 1.10 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। दोषी वर्ष 2009 से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

इन धाराओं में हुई सजा

1. आईपीसी की धारा 302, 120 भी में मृत्युदंड की सजा व 50 हजार रुपए का अर्थदंड। 2. आईपीसी की धारा 364ए, 120 भी में मृत्युदंड की सजा व 50 हजार रुपए का अर्थदंड। 3. आईपीसी की धारा 201 में सात साल की सजा व 10 हजार रुपए का अर्थदंड।

कोर्ट ने कहा: कम सजा देना देश की न्याय व्यवस्था पर संदेह पैदा करेगी

मुजफ्फरनगर, 12 अगस्त (बु.)। लकड़ी ठेकेदार का फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या करने वाले दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा है कि ऐसे साक्ष्यों और झूठ कूलों के बावजूद अपराधी को कानून की कड़ी सजा से बचने देना न्याय का मजाक होगा। कम सजा देना देश की न्याय व्यवस्था पर संदेह पैदा करेगा। आम आदमी का न्यायालय से विश्वास उठ जाएगा। अगर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट नम्बर 3 रवि कुमार दिवाकर ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि रुपये की फिरौती की लालसा में एक निर्दोष जीवन का अंत कर देना केवल एक हत्या नहीं, बल्कि सभ्य समाज के नैतिक



मूल्यों पर निर्भर प्रहार है। मृत्युदंड की सजा पाने वाले दोषी शाहनवाज का अपराधिक इतिहास का जिक्र कोर्ट ने अपने फैसले में सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अपराधी पर लूट, हत्या, अपहरण, डकैती, गैंगस्टर एक्ट व अन्य अपराधिक मामलों के 26 अपराधिक मामले दर्ज हैं। उस पर हत्या के चार मामले दर्ज हैं, जबकि तीन बार पुलिस ने उसे गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया है। साथ ही पुलिस उस पर जिला बदर की कार्रवाई भी कर चुकी है। वर्ष 2001 में अपहरण व वर्ष 2009 में हत्या के मामले में अलग अलग आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। वहीं वर्ष 2002 में गैंगस्टर के मामले में उसे पांच साल की सजा दी चुकी है। वह वर्ष 2009 से जिला कालास में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अपराधी ने कानून के साथ खिलवाड़ किया तो अधिक से अधिक सजा मृत्युदंड दिया जाना ही उचित है। ऐसे अपराधी को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कानून की अदालत में धन की नहीं, जीवन की गरिमा सर्वोपरि

मुजफ्फरनगर, 12 अगस्त (बु.)। मृत्युदंड की सजा सुनाते ही न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून की अदालत में धन की नहीं, जीवन की गरिमा सर्वोपरि होती है। रुपये की फिरौती की लालसा में एक निर्दोष जीवन मृतक साहित्य का अंत कर देना केवल एक हत्या नहीं, बल्कि सभ्य समाज के नैतिक मूल्यों पर निर्भर प्रहार है। न्यायालय की दृष्टि में ऐसा अपराध कठोरतम न्याय का पात्र है और विधि के अनुरूप दंड ही न्याय की वास्तविक अभिव्यक्ति है जो कि मृत्युदंड ही है। उन्होंने कहा कि जब लोभ मनुष्य की अंतरात्मा पर अधिकार कर लेता है, तब संवेदनाएं मौन हो जाती हैं और मानवता दम तोड़ देती है। धन का मूल्य कभी भी मानव जीवन से अधिक नहीं हो सकता। जिस क्षण किसी व्यक्ति ने रुपये की फिरौती की कीमत एक निर्दोष के प्राणों से चुकाने का निर्णय लिया, उसी क्षण उसने मानवता की सीमाएं लांघ दीं। न्यायालय मौन रहकर ऐसे अपराधों को सामान्य नहीं बनने दे सकता, न्याय का उद्देश्य केवल अपराधी को दंडित करना नहीं, बल्कि समाज के विश्वास की रक्षा करना भी है। किसी परिवार का चिराग बुढ़ाना सरल हो सकता है, पर उस घर में छत्र वाले दो अंधकार को कोई दंड भी पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकता। रुपये की फिरौती के लिए किया गया अपहरण और उसके पश्चात मृतक साहित्य की हत्या, अपराध की उस पराकाष्ठा का उद्घरण है जहां लोभ, क्रूरता और अमानवीयता एक साथ दिखाई देते हैं। कानून की अदालत में धन की नहीं, जीवन की गरिमा सर्वोपरि होती है। जब किसी निर्दोष की सांसों को रुपये से बांध दिया जाता है और अंततः उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे में न्यायालय का मौन अन्याय बन जाएगा। इसलिए विधि की मर्यादा और समाज के विश्वास की रक्षा हेतु कठोर दंड अपरिहार्य हो जाता है और कठोर दंड मृत्युदंड ही है।

सीबीएसई 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित, 53.08% बच्चे सफल

नई दिल्ली, 12 अगस्त (एजेंसी)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा 2026 का परिणाम आज घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल छात्र अब अपना रिजल्ट डिली लिंकर के रिजल्ट पॉर्टल पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं। बोर्ड ने छात्रों की डिजिटल मार्कशीट भी उपलब्ध करा दी है। सीबीएसई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 12वीं सलीमेंटरी परीक्षा 2026 के लिए कुल 2,91,576 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। इसमें से 2,75,287 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों में 1,11,056 छात्र अपने अंकों में सुधार (इम्प्रूवमेंट) के लिए शामिल हुए, जबकि 1,64,231 छात्र कम्पाटमेंट श्रेणी के थे। बोर्ड के अनुसार, कम्पाटमेंट श्रेणी में शामिल छात्रों में से 53.08 प्रतिशत उम्मीदवार परीक्षा में सफल रहे। इस परिणाम के साथ बड़ी संख्या में छात्रों को अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने का अवसर मिला है। सीबीएसई ने परिणाम डिजिटल मार्कशीट पर उपलब्ध करा दिए हैं, जहां छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट और प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

शामली के होटल में देह व्यापार का खुलासा : पुलिस ने 4 पुरुष और 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार

शामली, 12 अगस्त (एजेंसी)। नगर के एक होटल में देह व्यापार के आरोप में पुलिस ने मंगलवार को छपेमारी कर चार पुरुषों और तीन महिलाओं सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कनिका होटल से पांच मोबाइल फोन, 3,435 रुपए नकद, दो रजिस्टर और वयूआर कोड मशीनें बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार, थाना कोतवाली शामली को कनिका होटल में अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह के निर्देश पर अगर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला के निदेशन और क्षेत्राधिकारी नगर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में कोतवाली शामली तथा महिला थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। छपेमारी के दौरान पुलिस ने शिव शंकर (निवासी दीनदयाल कालोनी), संदीप (निवासी धीमानपुरा), सवेज (निवासी टपराणा) और रोहित उर्फ प्रशान्त (निवासी



ताना) को गिरफ्तार किया। इनके साथ तीन महिला आरोपियों को भी पकड़ा गया। सभी के खिलाफ थाना कोतवाली शामली में अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि बरामद रजिस्टर, मोबाइल फोन, नकदी और वयूआर कोड मशीनों की जांच की जा रही है।

रक्षाबंधन पर बसों से फ्री सफर कर सकेगी महिलाएं

6 दिन ज्यादा बसें चलाने का फैसला किया; कर्मचारियों की छुट्टी कैसल

लखनऊ, 12 अगस्त (एजेंसी)। श्रृी सरकार रक्षाबंधन पर बहन-बेटियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सीमात योगी। राज्य सड़क परिवहन निगम ने मुफ्त यात्रा का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। जल्द इसे मंजूरी मिल जाएगी। वहीं, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने रक्षाबंधन पर अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए हैं। फ्री बस की सुविधा 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक रहेगी। साल- 2025 में 9 अगस्त को रक्षाबंधन था। सरकार ने 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से 10 अगस्त की रात 12 बजे तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी थी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिए



हैं कि रक्षाबंधन पर यात्रियों की सुविधा के लिए 26 से 31 अगस्त तक ज्यादा बसें चलाई जाएं। इस अवधि में परिवहन निगम की सभी बसों का संचालन किया जाएगा। सभी बस

स्टेशनों पर साफ-सफाई, पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बस स्टेशनों पर वॉटिंग रूम (प्रतीक्षालय) में लाइट-पेन्थे की व्यवस्था बेहतर करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही 24 घंटे कंट्रोल रूम चालू रहेगा। परिवहन निगम के एमडी प्रभु एन. सिंह ने बताया कि दिल्ली से मुरादाबाद-बरेली होते हुए गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद जाने के लिए बसें कम होंगी। ऐसे ही दिल्ली से अलीगढ़-कानपुर होते हुए गाजियाबाद, आगरा और इटावा के लिए जारी प्रतिबंध कम होंगे। इतना ही नहीं, अगर पश्चिम क्षेत्रों के लिए प्रारंभिक पॉइंट से 60 प्रतिशत यात्री होंगे, तो अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी।

हर्ष पर पर लौटे शहर के बाजार और उद्योग धंधे

मुजफ्फरनगर, 12 अगस्त (बु.)। करीब एक पहराड़े तक कांवड़ यात्रा के दौरान शहर के दुकानदारों और उद्योगों का काम आज पट्टी पर लौट आया। बाजारों में सामान्य दिनों की तरह रौनक नजर आई और उद्योगों के धुम धंके फिर से चल गए। स्कूल कॉलेज खुले और कचहरी में भीड़ भाड़ के साथ शहर की सड़कों पर आम दिनों की तरह जाग के नवारे दिखाई देने लगे। रोडवेज बसें व अन्य वाहन अपने सामान्य मार्गों पर लौट आए। कांवड़ यात्रा के कारण रूट डायवर्जन के चलते जहां यातायात व्यवस्था अस्त

व्यस्त हो गई थी, वहीं उद्योगों में कच्चे माल की आवक और तैयार माल भेजने की व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी। इसके चलते हाईवे के उद्योग तो बुरी तरह से प्रभावित हुए। इस दौरान शहर में भी यातायात व्यवस्था बैरकेटिंग के चलते प्रभावित होने से बाजारों में सन्नता पसरा था। आज उद्योगों में सामान्य दिनों की तरह काम काज शुरू हो गया। इसके साथ ही बाजारों में भी रौनक बहाल होने से दुकानदारों के मुँहाए चहरे खिल उठे। हरियाली तीज का लौहार होने के कारण कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन, चूड़ियां व अन्य

सामग्री की खरीद को लेकर ग्राहक बाजार में पहुंचे तो दुकानदारों को लगा कि कांवड़ यात्रा के दौरान उन्हें हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी। कचहरी में भी खासी भीड़ दिखाई दी। इस दौरान शहर की सड़कों पर तमाग जगह लगने वाला जाम भी सामान्य हो गया। स्कूल कॉलेजों में कई दिनों बाद बच्चे अपने दोस्तों से मिले तो छुट्टियों के अनुभव साा किए। स्कूलों में करीब दस दिन बाद रौनक नजर आई। हाईवे खुलने के साथ रोडवेज बसें व अन्य वाहन अपनी सामान्य दौड़ पर दिखे।





PREMIUM FAMILY DRESSING
NEW MANDI, MUZAFFARNAGAR



13 to 16 AUGUST

50% OFF

FLAT

*T&C Apply

